



संदर्भ सं.राबैं.पुनर्वित्त/ 244 / ए-1 (जन) / 2020-21
परिपत्र सं. 191 / पुनर्वित्त- 65 / 2020

15 जुलाई 2020

प्रबंध निदेशक
सभी राज्य सहकारी बैंक

महोदय

नाबार्ड द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि (अन्य) के तहत विभिन्न प्रयोजनों के वित्तपोषण हेतु अल्पावधि पुनर्वित्त योजना - वर्ष 2020-21 के लिए नीति - शुद्धिपत्र

कृपया दिनांक 16 अप्रैल 2020 के हमारे परिपत्र पत्र संख्या 107 / डीओआर - 32 / 2020 का संदर्भ लें जिसके साथ वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अल्पावधि (अन्य) के लिए दिशा निर्देशों से अवगत कराया था. इस संबंध में, अनुबंध II के निम्नलिखित अनुच्छेद G.1.b.6.1 और 7.1 के तहत परिपत्र में संशोधन किया गया है और नीचे दिया गया है:

अनुच्छेद G.1.b.6.1: नाबार्ड से राज्य सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त समय-समय पर नाबार्ड द्वारा निर्धारित दर पर उपलब्ध होगा। ब्याज प्रत्येक तिमाही के पहले दिन यानी 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर और 1 अप्रैल को हर साल या पूरी मूल राशि के पुनर्भुगतान पर देय होगा।

अनुच्छेद G.1.b.7.1: पुनर्वित्त की मात्रा 80% से

Provision of Short Term Refinance to State Cooperative Banks for financing various purposes under Short Term (Others) – Policy for the year 2020-21 – Corrigendum

Please refer to our circular No. NB.107/DoR-32/2020 dated 16 April 2020, communicating the policy guidelines on Short Term refinance under ST (Others) to State Cooperative Banks for the financial year 2020-21. In this connection, paragraphs G.1.b.6.1 and 7.1 of Annexure II to the Circular stand revised and may be read as under :

Para G.1.b.6.1: The interest rate of refinance is subject to revision from time to time by NABARD. Interest is payable at quarterly rests on the first day of each quarter i.e. 1 July, 1 October, 1 January and 1 April every year, or on repayment of the entire principal amount.

Para G.1.b.7.1: The quantum of refinance will be in the range of 80% to 95% as

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward

95% के दायरे में होगी जैसा कि परिपत्र के अनुबंध 1 के अनुच्छेद 4 में विस्तृत है।

detailed in paragraph 4 of Annexure I of the circular.

भवदीय

एन नीरजा
(एन नीरजा)
महाप्रबंधक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

National Bank for Agriculture and Rural Development

पुनर्वित्त विभाग

प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org

Department of Refinance

Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325 • Fax: +91 22 26530090 • E-mail: dor@nabard.org

गाँव बढ़े >> तो देश बढ़े

www.nabard.org

Taking Rural India >> Forward